विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम गुरूवार के लिये निर्धारित, श्री अनूप कुमार गुप्ता, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
4 (क) क्या पशुधन मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-349 बीजेपी यूपी-2024 दिनांक 17.12.2024 जो कि ग्राम पंचायत गेरावाँ विकास खण्ड-हैदरगढ़, जनपद-बाराबंकी, उ0प्र0 की गौशाला में विभिन्न मदों से प्राप्त धनराशि की अनियमितता तथा गौशाला में जीवित/मृत गोवंशों को कुत्तों द्वारा नोंचकर खाने की उच्चाधिकारियों से जांच कराकर जिम्मेदार लापरवाह अधिकारी/ कर्मचारी पर कार्यवाही कराये जाने के संबंध में जिलाधिकारी, बाराबंकी को भी प्रेषित था, कब प्राप्त हुआ?	जी हाँ। उक्त पत्र संख्या-349 बीजेपी यूपी-2024 दिनांक 17.12.2024 जिलाधिकारी, बाराबंकी कार्यालय के माध्यम से दिनाँक 25.12.2024 को कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, बाराबंकी को प्राप्त हुआ।
(ख) उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे?	उक्त शिकायती पत्र में ग्राम पंचायत-वली गेरावां, विकास खण्ड हैदरगढ, जनपद-बाराबंकी स्थित गौशाला में विभिन्न मदों से प्राप्त धनराशि के बन्दरबांट की तथा गोशाला में जीवित/मृत गोवंशों को कुत्तों द्वारा नोचकर खाने की उच्चाधिकारियों से जाँच कराकर जिम्मेदार लापरवाह अधिकारी/ कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया है।
(ग) क्या जांच कराकर लापरवाह, जिम्मेदार अधिकारी/ कर्मचारी पर कार्यवाही की गयी है?	जी हॉ। उक्त प्रकरण की जाँच खण्ड विकास अधिकारी तथा उप जिलाधिकारी, हैदरगढ़, बाराबंकी द्वारा संयुक्त रूप से की गयी थी। उनके स्तर से प्राप्त जाँच आख्या के अनुसार गोशाला में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी तथा किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही प्रकाश में नहीं आयी है।
(घ) यदि हाँ, तो क्या?	प्रश्न नहीं उठता।
(ङ) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

Signed by
Dharm Pal Singh
Date: 19-02-2025 12:11:24

धर्मपाल सिंह
मंत्री
पशुधन विभाग।